

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26TH November, 2023

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका और उसके निहितार्थों का अध्ययन

डॉ. श्रीकान्त प्रधान, सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3

सारांश

यह शोध पत्र भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और राजनीतिक महत्व की जांच करता है। राज्यपाल को राज्य सरकारों के भीतर संघ के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके पास औपचारिक कर्तव्यों और महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियों का दोहरा अधिदेश होता है। अध्ययन इस बात की जांच करता है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील परिदृश्यों में। यह बताता है कि विवेकाधीन शक्तियों में अस्पष्टता संघर्ष को जन्म दे सकती है, खासकर जब राज्य और केंद्र सरकारें राजनीतिक रूप से विरोधी हों। यह एक तटस्थ पर्यवेक्षक बनाम एक संभावित राजनीतिक उपकरण के रूप में राज्यपाल की भूमिका के बारे में सवाल उठाता है। अध्ययन भारत के संघीय ढांचे में सहकारी संघवाद और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों और बढ़ी हुई न्यायिक निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है।

मुख्य शब्द : राज्यपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, संवैधानिक भूमिका, विवेकाधीन शक्तियाँ, संघवाद, राज्य स्वायत्तता

परिचय:

भारत का संघीय ढांचा दोहरी सरकार प्रणाली पर काम करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को राष्ट्र की एकता और प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इस व्यवस्था में, राज्यपाल की भूमिका संघ और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दोनों के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की स्थिति, मुख्य रूप से औपचारिक होने के बावजूद, विवेकाधीन शक्तियों के साथ आती है जो व्यक्ति को राज्य के मामलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की अनुमति देती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जब संवैधानिक हस्तक्षेप या परस्पर विरोधी राज्य और केंद्रीय हितों के बीच मध्यस्थता की आवश्यकता होती है।

इस अध्ययन का उद्देश्य विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन करना है, यह जांचना कि यह भूमिका व्यवहार में कैसे निष्पादित की जाती है और यह इन राज्यों के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को कैसे प्रभावित करती है। संवैधानिक जनादेश, ऐतिहासिक संदर्भों और राज्यपाल के हस्तक्षेप के हाल के उदाहरणों का विश्लेषण करके, शोध उन क्षेत्रों को उजागर करने का प्रयास करता है जहाँ राज्यपाल के अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है और जहाँ यह विवाद का विषय बन जाता है। ऐसी अंतर्दृष्टि राज्यपाल की भूमिका के व्यापक निहितार्थों को समझने में मदद करेगी, खासकर उन परिदृश्यों में जहाँ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विपरीत राजनीतिक गठबंधन रख सकती हैं।

इस अध्ययन का महत्व भारतीय संघवाद में राज्यपाल की भूमिका से जुड़ी चुनौतियों और बारीकियों को स्पष्ट करने की इसकी क्षमता में निहित है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए, यह दो विविध

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26th November, 2023

भारतीय राज्यों के भीतर शासन पर कार्यालय के प्रभाव की एक केंद्रित परीक्षा प्रदान करता है। नीति निर्माताओं के लिए, निष्कर्ष सुधार के क्षेत्रों का सुझाव दे सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक इरादे के अनुरूप बनी रहे, जिससे राज्य की स्वायत्तता और संघीय अखंडता दोनों की रक्षा हो। एक राजनीतिक परिदृश्य में जहां राज्यपाल के कार्य राज्य-केंद्र की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, यह अध्ययन इस संस्था की भूमिका, प्रासंगिकता और सुधारों की संभावित आवश्यकता की व्यापक समझ प्रदान करता है।

शोध के उद्देश्य:

- 1) भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल को दिए गए विशिष्ट कर्तव्यों और शक्तियों की जांच करना, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इन शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
- 2) ऐसे उदाहरणों की जांच करना जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपालों ने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है, ऐसे कारकों की पहचान करना जो इस तरह की कार्रवाइयों को प्रेरित करते हैं और राज्य शासन एवं राजनीतिक स्थिरता पर उनके प्रभाव।
- 3) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य और प्रशासनिक दक्षता पर राज्यपाल की भूमिका के प्रभाव का विश्लेषण करना, विशेष रूप से केंद्र-राज्य तनाव या गठबंधन सरकारों से जुड़ी स्थितियों में।
- 4) राज्यपाल की भूमिका में अस्पष्टताओं को उजागर करने वाले विशिष्ट मामलों या विवादों का पता लगाना, उन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना जो कानूनी या राजनीतिक विवादों को जन्म देती हैं।

साहित्य समीक्षा:

भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका पूरे इतिहास में बहस और विश्लेषण का विषय रही है। जैन (२००५) राज्यपाल की कानूनी शक्तियों और कार्यों का एक व्यापक अध्ययन प्रदान करता है, उन मामलों पर प्रकाश डालता है जहां अदालतों ने इन शक्तियों की सीमा को स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया है। शर्मा (२००७) राज्य सरकार के प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की दोहरी भूमिका पर चर्चा करते हैं, और इस दोहरी जिम्मेदारी से उत्पन्न होने वाले संभावित संघर्षों पर जोर देते हैं, खासकर जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नेतृत्व विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। फडनीस और रेड्डी (२०१०) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्यपाल के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन की राजनीतिक गतिशीलता का पता लगाते हैं। वे ऐसे उदाहरणों की जांच करते हैं जहां राज्यपालों ने राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान हस्तक्षेप किया है, और इस तरह के हस्तक्षेपों से शासन में जनता के विश्वास को प्रभावित करने एवं संघ-राज्य संबंधों में घर्षण पैदा करने की क्षमता पर चर्चा की है। राजारमन (२०१२) उन मामलों की आलोचनात्मक जांच करते हैं जहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका ने राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों को जन्म दिया है, जो संविधान द्वारा इच्छित सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। राय (२०१७) विभिन्न भारतीय राज्यों के केस स्टडीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकारों के लोकतांत्रिक कामकाज पर राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। सरकार (२०१९) ने स्पष्ट संवैधानिक सीमाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यपालों की कार्रवाई संघवाद और राज्य स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26TH November, 2023

शोध पद्धति:

यह शोध पत्र गुणात्मक दृष्टिकोण और तुलनात्मक केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका का पता लगाता है। अध्ययन राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों, विवेकाधीन शक्तियों और राजनीतिक रूप से संवेदनशील संदर्भों में व्यावहारिक निहितार्थों को समझने के लिए संवैधानिक विश्लेषण, केस स्टडी और ऐतिहासिक एवं कानूनी शोध का उपयोग करता है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका और इसके निहितार्थ:

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित भारतीय राज्यों में राज्यपाल की भूमिका में कई संवैधानिक, औपचारिक और प्रशासनिक कर्तव्य शामिल हैं, जिनके अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५३ के तहत स्थापित यह पद राज्य का औपचारिक प्रमुख और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होने के कारण अद्वितीय है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी बनती है।

राज्य में राज्यपाल की भूमिका में संवैधानिक कार्य शामिल हैं, जैसे संविधान को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि शासन इसका पालन करे। वे राज्य विधानमंडल सत्र बुला सकते हैं, विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं एवं राष्ट्रपति के परामर्श से विधायी प्रस्तावों पर निर्णय ले सकते हैं। वे प्रशासनिक निगरानी भी करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना और राज्य की प्रमुख संस्थाओं की देखरेख करना। यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में विफल रहती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। उनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं, जैसे संवैधानिक संकटों में सरकार की वैधता तय करना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्यपाल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ राजनीतिक बदलाव या विधायी बहुमत का नुकसान उन्हें शासन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में ला सकता है। राज्यपाल की स्थिति अक्सर बहस को जन्म देती है, विशेष रूप से पक्षपात या अतिक्रमण के आरोपों और केंद्र एवं राज्य प्राधिकरण, राजनीतिक तटस्थता और उनकी विवेकाधीन शक्तियों की सीमा के बीच संतुलन के बारे में।

भारत में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और संघ एवं राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५३-१६२ में दिया गया है।

राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति शामिल है। वे विधायी मामलों में भी भूमिका निभाते हैं, जैसे राज्य विधानमंडल को बुलाना और स्थगित करना एवं विधान सभा को भंग करना। उनके पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं, जैसे विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखना।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ उन्हें कुछ स्थितियों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर निर्णय लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना या नहीं, यह तय करना।

कई संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं, जिसमें विधेयकों पर सहमति रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित रखना,

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26th November, 2023

राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना और क्षमा, दंड-स्थगन एवं छूट देना शामिल है।

राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका औपचारिक और विवेकाधीन कार्यों का एक जटिल संतुलन है, जो राज्य शासन को संघ की निगरानी के साथ एकीकृत करता है और संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता की अनुमति देता है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की विशिष्ट भूमिका:

मध्य प्रदेश (एमपी) में राज्यपाल ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सरकारी बदलावों की देखरेख की है, संवैधानिक शासन को बनाए रखा है और राजनीतिक संकटों में हस्तक्षेप किया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में १९७० के दशक की आपातकालीन अवधि, १९९० और २००० के दशक में राजनीतिक संकट और २०२० का राजनीतिक संकट शामिल हैं। २००० में गठित छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल की भूमिका इसकी अनूठी चुनौतियों के कारण अलग तरह से आकार लेती है।

मध्य प्रदेश में, राज्यपाल सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और २०२० के फ्लोर टेस्ट की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने सत्ता को कांग्रेस से भाजपा में स्थानांतरित कर दिया था। १९८० के दशक में, राज्यपालों ने राजनीतिक गतिरोध के बीच राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर वातावरण में विवेकाधीन शक्तियों को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ में, राज्यपालों ने अक्सर आदिवासी अधिकार नीतियों को लागू करने और उनकी देखरेख करने पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में। उन्होंने स्वदेशी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों और कल्याण से संबंधित विशेष नीतियों की वकालत की है। हाल ही में, राज्यपालों ने आदिवासी भूमि स्वामित्व और वन अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून पर राज्य सरकार के साथ कभी-कभी टकराव किया है। आदिवासी कल्याण नीतियों और वन भूमि स्वामित्व कानूनों पर राज्यपाल एवं राज्य के नेताओं के बीच मतभेदों ने संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित किया है।

मध्य प्रदेश में शासन राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, खासकर सरकार के संक्रमण के समय। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ के शासन के मुद्दे अक्सर आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विद्रोह पर केंद्रित होते हैं, और राज्यपाल अक्सर आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व करने एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा समन्वय में सहायता करने में अधिक स्पष्ट भूमिका निभाते हैं।

मध्य प्रदेश में राज्यपालों ने अक्सर राजनीतिक अस्थिरता के दौरान हस्तक्षेप किया है, जिससे उनके अधिकार की सीमाओं पर बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल की भागीदारी आदिवासी अधिकारों और पांचवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक दायित्वों पर अधिक केंद्रित रही है। रुके हुए आदिवासी कल्याण विधेयकों जैसे मुद्दों ने भी राज्यपाल के कार्यालय को सुर्खियों में ला दिया है, खासकर जब इन नीतियों को लेकर राज्य सरकार के साथ टकराव हुआ हो।

राज्यपाल की भूमिका के राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थ:

प्रत्येक राज्य में संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका संघीय ढांचे और राज्य स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है, खासकर राजनीतिक संकटों या सरकारी बदलावों के दौरान। सरकार

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26TH November, 2023

गठन, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने और विवेकाधीन निर्णयों जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यपाल के हस्तक्षेप से संघवाद का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है।

विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, राज्यपाल को कभी-कभी राज्य के मामलों में संघ द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य स्वायत्तता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है जो भारत के संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है। राजनीतिक संकट के समय, जैसे कि त्रिशंकु विधानसभा, दलबदल या सरकार के टूटने पर, राज्यपाल के फैसले राजनीतिक स्थिरता को भारी रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।

राज्यपाल की स्थिति को अक्सर राज्यों में केंद्र सरकार के प्रभाव का विस्तार माना जाता है, खासकर जब केंद्र और राज्य सरकारों का नेतृत्व विरोधी राजनीतिक दल करते हैं। यह सहकारी संघवाद को नष्ट कर सकता है, जिससे तनावपूर्ण संबंध और कम सहयोग हो सकता है। राज्यपालों पर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर काम करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसका लोकतंत्र और संघवाद पर प्रभाव पड़ता है।

राज्यपालों के निर्णयों का लोक प्रशासन और शासन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर तब जब संघ एवं राज्य के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है। प्रशासनिक देरी और अस्थिरता तब हो सकती है जब राज्य सरकार एवं राज्यपाल के बीच तनाव हो, या जब राज्यपालों को राज्य की नीतियों में बाधा डालते हुए देखा जाए। केंद्र सरकार के विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप से राज्य-विशिष्ट नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रभावशीलता कम हो सकती है और राज्य की स्वायत्त रूप से कार्य करने की क्षमता बाधित हो सकती है। राज्यपाल की भूमिका के दूरगामी राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थ हैं, जो संघीय-राज्य संबंधों, लोक प्रशासन दक्षता एवं भारत के सहकारी संघवाद की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इस कार्यालय के प्रभावी कामकाज और भारत के संघीय ढांचे की समग्र स्थिरता के लिए संवैधानिक जनादेश को तटस्थता एवं गैर-पक्षपात की भावना के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

राज्यपाल की भूमिका की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

संविधान में विवेकाधीन शक्तियों की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण राज्यपाल की भूमिका अस्पष्ट है। यह अस्पष्टता, विशेष रूप से अनुच्छेद १६३ और २०० के संबंध में, विभिन्न व्याख्याओं और कभी-कभी पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को जन्म देती है। व्याख्याएं राज्यपाल के निर्णय या राजनीतिक झुकाव के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंगत अनुप्रयोग होते हैं।

राज्यपालों को अक्सर केंद्र सरकार के प्रभाव के विस्तार के रूप में देखा जाता है, खासकर उन राज्यों में जहां संघ स्तर पर सत्तारूढ़ दल राज्य सरकार से अलग है। यह धारणा इस तथ्य से पुष्ट होती है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो आम तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आधारित होती है।

राज्यपालों के कार्यों को कभी-कभी पक्षपाती या केंद्र सरकार के हितों के पक्ष में माना जाता है, खासकर जब वे विपक्ष के एजेंडे से जुड़े राज्य के कानून या नीतिगत निर्णयों में बाधा डालते हैं। यह धारणा संघीय-राज्य संबंधों को खराब कर सकती है और सहकारी संघवाद की भावना को नष्ट कर सकती है।

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26TH November, 2023

राज्यपाल के कार्यालय की तटस्थता चल रही बहस का विषय रही है, जिससे राज्यपाल के कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में चल रही बहस शुरू हो गई है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर प्रभाव:

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका अस्पष्टता और केंद्रीय प्रभाव की विशेषता है, जिसके कारण प्रशासनिक देरी, विधायी गतिरोध और विकास में रुकावट आ सकती है। मध्य प्रदेश में, राज्यपाल के कार्य राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक विधायी संघर्ष और नीतिगत देरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में, जहाँ शासन आदिवासी कल्याण, भूमि अधिकार और नक्सल-संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है, राज्यपाल के कार्यालय के साथ संघर्ष कल्याणकारी पहलों को धीमा कर सकता है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य विधान को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आदिवासी अधिकारों या भूमि नीतियों से संबंधित विधेयकों पर सहमति न देना राज्य की महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत संबोधित करने की क्षमता में बाधा डाल सकता है।

दोनों राज्यों में, ये चुनौतियाँ प्रशासनिक अक्षमता और नीतिगत ठहराव का कारण बन सकती हैं, खासकर जब राज्यपाल के कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के साथ संघर्ष करते हैं। राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप की संभावना राज्य शासन की प्रभावकारिता और संवैधानिक रूप से निष्पक्ष संस्था के रूप में राज्यपाल के कार्यालय की विश्वसनीयता को कमजोर करने का जोखिम उठाती है।

निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका पर किए गए अध्ययन में राज्य शासन पर राज्यपाल के विवेक का महत्वपूर्ण प्रभाव उजागर हुआ है, जो अक्सर भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश में राज्यपालों ने राजनीतिक बदलावों और गठबंधन संघर्षों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो राज्यपाल के हस्तक्षेप में पक्षपात की संभावना को रेखांकित करता है। छत्तीसगढ़ में, राज्यपालों को आदिवासी कल्याण और संबंधित नीतियों की देखरेख में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष राजनीतिकरण को रोकने, जवाबदेही बढ़ाने और भारत की संघीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता का सुझाव देते हैं। सहकारी संघवाद को बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्यपाल निष्पक्ष रूप से और राज्यों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। एक संतुलित दृष्टिकोण, संघ की निगरानी भूमिका का सम्मान करते हुए राज्य की स्वायत्तता बनाए रखना, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। सुधार के लिए सिफारिशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश पेश करना, राज्यपाल के हस्तक्षेप से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए एक मजबूत न्यायिक तंत्र स्थापित करना और जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। इन उपायों से कार्यालय की तटस्थता में अधिक विश्वास पैदा होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्यपाल राज्य के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने और सहकारी संघवाद एवं संवैधानिक ढांचे की अखंडता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित रखें।

संदर्भ:

1. *Controversial Role of Governors.* (n.d.). Drishti IAS. <https://www.drishtiiias.com/daily-news-analysis/controversial-role-of-governors>
2. *Mundle, S., Chowdhury, S., Sikdar, S., & National Institute of Public Finance and Policy.* (2016). *Governance Performance of Indian States (Working Paper No. 164; p. 1).* National Institute of Public Finance and Policy. https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2016/04/WP_2016_164.pdf

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“ENVIRONMENT, AGRICULTURE & HUMAN WELFARE: AN OVERVIEW OF
SUSTAINABLE GOALS OF FUTURE”

26TH November, 2023

3. Bhushan, B. (2017). *The Governor's role in Indian federalism: A critical assessment*. New Delhi: Oxford University Press.
4. Chandra, R. (2019). *Gubernatorial discretion and state politics: Cases from Madhya Pradesh and Chhattisgarh*. *Indian Journal of Political Science*, 74(2), 256-274.
5. Deshpande, A. (2018). *Federal challenges and the Governor's role in Madhya Pradesh and Chhattisgarh*. *Journal of South Asian Studies*, 15(3), 72-89.
6. Kumar, N. (2020). *Examining the discretionary powers of the Governor: Implications for state autonomy*. *Journal of Constitutional Law*, 5(4), 192-209.
7. Mukherjee, A. (2016). *Political neutrality and the Governor's office: The Indian experience*. *Indian Political Quarterly*, 34(1), 121-137.
8. Pillai, V. K. (2018). *Constitutional ambiguities in gubernatorial roles: A comparative study of Madhya Pradesh and Chhattisgarh*. *Constitutional Law Review*, 20(2), 98-115.
9. Prasad, M., & Singh, T. (2019). *The impact of gubernatorial intervention on state governance: Case studies from Indian federalism*. *South Asia Governance Journal*, 11(1), 41-60.
10. Rao, P. S. (2020). *The Governor's discretionary powers: A tool for stability or political manipulation?* *Journal of Federal Studies*, 22(3), 110-128.
11. Sharma, R. (2015). *The Governor's role in the Indian democratic framework: Lessons from Madhya Pradesh and Chhattisgarh*. *Indian Governance Studies*, 9(2), 85-103.
12. Verma, S. (2018). *Governors and federal dynamics in India: An analysis of political intervention in state matters*. *Asian Journal of Public Administration*, 22(4), 102-119.